बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

।। प्रेस नोट।।

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के सुगम संचालन हेतु बाईलॉ (Memorandum of Society and Rules and Regulations) के प्रारूप एवं प्रस्ताव पर स्वीकृति से संबंधित है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के सुगम संचालन हेतु बाईलॉ के अनुसार बिहार राज्य में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को खेल क्षेत्र में सुगम और अनुकूल बनाने हेतु अतिरिक्त प्रबंधकीय और तकनीकी क्षमता के रूप में सेवा प्रदान करना, भारत सरकार और राज्य सरकार की खेल नीतियों के अनुसार बिहार राज्य में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित और विकसित करना, राज्य में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करना, विभिन्न स्तरों पर खेलकूद प्रतियोगिताओं को आयोजित कराना, खेलों अवसंरचनाओं का रख–रखाव, खेल अकादमी और प्रशिक्षण का बुनियादी ढांचा स्थापित करना, राज्य और जिला स्तर पर खेल उपकरण बैंकों की स्थापना करना आदि कार्य किया जायेगा।

इस बाईलॉ के प्रवृत होने के फलस्वरूप कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के तत्वाधान में खेल परिसरों का समन्वय, नियंत्रण और प्रबंधन किया जा सकेगा। खेल गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सेमिनार, कार्यशाला और अन्य आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकेगा। भारत सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल परिषद, भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल संघ संघों और अन्य जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर के संघों के बीच संबंध स्थापित किया जा सकेगा। सरकारी/निजी प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर खेल टूर्नामेंट, प्रशिक्षण शिविर, प्रदर्शन मैच आदि का आयोजन जा सकेगा। भारत सरकार और राज्य सरकार की गतिविधियों के अलावा विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल स्तर के टूर्नामेंट आयोजित किया जा सकेगा, जिसके फलस्वरूप बिहार में खेल गतिविधियों के विकास के लिए सामाजिक भागीदारी से जन जागरूकता और समुदाय की भागीदारी बढ़ेगी।

7/12/2017

(बन्दना प्रेयषी),
सरकार के सचिव,
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

2

।। प्रेस नोट ।।

"बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) मॉडल उपविधि, 2022" की स्वीकृति प्रदान की गयी।

बिहार राज्य के नगर निकाय क्षेत्र में प्लास्टिक अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु "मॉडल बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि 2018" अधिसूचित की गयी थी, तदोपरांत भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एकल उपयोग प्लास्टिक के प्रतिबंध एवं इससे संबंधित अन्य प्रावधान हेतु अधिसूचना अधिसूचित की गयी थी।

उपरोक्त भारत सरकार के अधिसूचना के आलोक में एकल उपयोग प्लास्टिक (पॉलीस्टाइरीन एवं एक्सटेंडेड पॉलीस्टाइरीन अथवा थर्मोकोल सहित) से संबंधित विभिन्न वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जो निम्नवत है :–

(क) इयर बड्स की प्लास्टिक की डंडिया, गुब्बारों की प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की डंडिया, आईसक्रीम की डंडिया, सजावट के लिए पॉलिस्टाइरिन (थर्मोकोल) से बने सजावट के सामान;

(ख) कप, प्लेट, गिलास, कटलरी जैसे– काँटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, स्ट्रिर, साथ ही मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के इर्द–गिर्द लपेटने या पैक करने वाली प्लास्टिक की फिल्में तथा 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पी.वी.सी. के बैनर;

जैव–विघटनीय (Compostable) प्लास्टिक से बनी सामग्रियों पर उपरोक्त वर्णित चिन्हित Single Use Plastic (SUP) के सामान पर यह प्रावधान लागू नही होंगे।

स्थानीय निकाय की अधिकारिता क्षेत्र में किसी भी प्रकार के एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग सभी के लिए प्रतिबंधित होगा।

दूकानदार, भेंडर, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, व्यवसायी, हॉकर, फेरी वाला सहित सभी के लिए पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं का विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग सभी के लिए प्रतिबंधित होगा।

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

(4)

"प्रेस नोट"

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अंतर्गत संचालित भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, भागलपुर में कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग संकाय में पूर्व से 07 (सात) शैक्षणिक पद (प्राध्यापक–01, सह प्राध्यापक–01 एवं राहायक प्राध्यापक–05) तथा गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया एवं दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा में कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग संकाय हेतु प्रत्येक संस्थान में 10 (दस) शैक्षणिक पद (प्राध्यापक–01, सह–प्राध्यापक–02 एवं सहायक प्राध्यापक–07) सृजित है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के मापदण्ड के अनुसार प्रत्येक अभियंत्रण महाविद्यालय में 12 (बारह) शैक्षणिक पदों का सृजित रहना आवश्यक है।

भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, भागलपुर में चार–वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम में प्रतिवर्ष 60 (साठ) छात्र–छात्राओं की प्रवेश क्षमता के आधार पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मापदण्ड (अधिकत्तम छात्र : शिक्षक= 20 : 1) के अनुसार स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अधीन 05 (पाँच) अतिरिक्त शैक्षणिक पदों (सह–प्राध्यापक–02, सहायक प्राध्यापक–03) तथा गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया एवं दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा में प्रत्येक संस्थान में 02 (दो) (सह–प्राध्यापक–01 एवं सहायक प्राध्यापक–01) अतिरिक्त शैक्षणिक पदों अर्थात कुल–09 (नौ) शैक्षणिक पदों का सृजन किया जाना है।

अतएव विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, भागलपुर में कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु 05 (पाँच) (सह–प्राध्यापक–02 एवं सहायक प्राध्यापक–03) तथा गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया एवं दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा में कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु प्रत्येक संस्थान में 02 (दो) (सह–प्राध्यापक–01 एवं सहायक प्राध्यापक–01) अर्थात कुल–09 (नौ) शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

"प्रेस नोट"

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अंतर्गत दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा एवं बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर में फायर टेक्नोलॉजी एण्ड सेफ्टी पाठ्यक्रम हेतु विभागीय आदेश संख्या–314 दिनांक–02.02.2022 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022–23 में नये पाठ्यक्रम के रूप में पठन–पाठन का कार्य प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा में चार–वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम में प्रतिवर्ष 60 (साठ) छात्र–छात्राओं की प्रवेश क्षमता के आधार पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मापदण्ड (अधिकत्तम छात्र : शिक्षक= 20 : 1) के अनुसार स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अधीन बारह अतिरिक्त शैक्षणिक पदों (प्राध्यापक–01, सह–प्राध्यापक–03, सहायक प्राध्यापक–08) तथा बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर में चार–वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम में प्रतिवर्ष 30 (तीस) छात्र–छात्राओं की प्रवेश क्षमता के आधार पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मापदण्ड (अधिकत्तम छात्र : शिक्षक= 20 : 1) के अनुसार स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अधीन 06 (छः) अतिरिक्त शैक्षणिक पदों (प्राध्यापक–01, सह–प्राध्यापक–01, सहायक प्राध्यापक–04) अर्थात कुल–18 (अठारह) शैक्षणिक पदों का सृजन किया जाना है।

अतएव विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा एवं बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर में फायर टेक्नोलॉजी एण्ड सेफ्टी पाठ्यक्रम हेतु कुल–18 (अठारह) शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
विधि विभाग

6

मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु संलेख के निमित्त आत्मभरित टिप्पणी सहित प्रेस नोट।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भिन्न–भिन्न उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए तथा बेंच सेक्रेटरी भर्ती नियमावली, 2020 के प्रावधानों के अनुरूप माननीय उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में बेंच सेक्रेटरी के 64 (चौसठ) स्वीकृत पदों में से 10 पदों को उत्क्रमित करते हुए बेंच सेक्रेटरी संवर्ग के पुनर्गठन का प्रस्ताव दिया गया है।

बेंच सेक्रेटी के कार्य की प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे उच्च न्यायालय के माननीय एकल/डिविजन/पूर्ण बेंच से संलग्न होते है। वे विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों को करते हैं यथा Cause List के अनुसार उच्च न्यायालय के फाईलों का संपादन एवं प्रबंधन करना, वादों को पुकारना, आदेश/निर्णय के पश्चात् वादों के प्रोग्रेस एवं स्थिति के संबंध में सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि करना, माननीय बेंच के आवश्यकता के अनुसार संबंधित प्रशाखाओं से समन्वय करना तथा और बहुत सारे संबद्ध कार्य करना। Virtual Courts के शुरू किये जाने के पश्चात् उनका कार्य और भी विस्तृत हो गया है। इन्हीं आधारों पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बेंच सेक्रेटरी संवर्ग के पुर्नगठन का प्रस्ताव दिया गया है।

उक्त आलोक में बेंच सेक्रेटरी के 64 (चौसठ) स्वीकृत पदों में से 10 पदों को उत्क्रमित करते हुए बेंच सेक्रेटरी संवर्ग के पुनर्गठन के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति अपेक्षित है।

इसके फलस्वरूप उच्च न्यायालय, पटना के न्यायिक कार्यों का सुचारू रूप से संचालन हो सकेगा तथा आम जन को त्वरित न्याय का मार्ग प्रशस्त होगा।

15/1/22

(रूद्र प्रकाश मिश्र)
सरकार के सचिव, बिहार।

सं0सं0–3/एम0–63/2005 (9)

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस नोट

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–2374 दिनांक–16.07.2007 सहपठित पत्रांक–524 दिनांक–13.01.2022 द्वारा निर्धारित बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा को युक्तियुक्त बनाते हुए निम्न निर्णय लिया गया–

(क) बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरान्त उनकी पूरी सेवा अवधि में प्रत्येक आयोग (बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग आदि) द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग–अलग अधिकतम कुल 05 (पाँच) अवसर ही अनुमान्य होंगे।

(ख) उपर्युक्त निर्धारित 05 (पाँच) अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारम्भ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिए गए अवसरों की एतदर्थ उपेक्षा की जाएगी।

(ग) बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट पूर्ववत अनुमान्य होगी। परन्तु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तबतक अधिकतम 05 (पाँच) अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो।

(मो0 सोहैल)
सरकार के विशेष सचिव

9

14/57

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
प्रेस विज्ञप्ति

राज्य में ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (Duchenne Muscular Dystrophy–DMD) एवं अन्य आनुवांशिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग के ईलाज हेतु हेतु स्वास्थ्य विभाग के संकल्प संख्या–1255(18), दिनांक–22.08.2022 में बिहार राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल के शिशु रोग विभाग के विभागाध्यक्ष को रोग के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण हेतु सक्षम प्राधिकार निर्धारित किया गया है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (Duchenne Muscular Dystrophy–DMD) एवं अन्य आनुवांशिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग के ईलाज हेतु 18 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के मरीजों के पहचान एवं चिकित्सा प्रमाणीकरण वर्णित संकल्प में प्रावधान नहीं किये जाने के कारण इनके पहचान में हो रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रख कर बिहार राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय के शिशु रोग विभागाध्यक्ष/औषधि विभाग के विभागाध्यक्ष को सक्षम प्राधिकार प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति का निर्णय लिया गया है।

इससे राज्य के मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग से पीड़ित मरीजों के न सिर्फ प्राणों की रक्षा हो सकेगी, अपितु उनके जिजीविषा में वृद्धि होगी। इस निर्णय से राज्य के अन्दर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग के ईलाज उपलब्ध कराने का मार्ग भी प्रशस्त हो सकेगा।

(प्रत्यय अमृत)
अपर मुख्य सचिव

(10)

स0सं0– 7 / बजट–46–13 / 2022

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को फेजवार (तीन चरणों में) 250 एम0बी0बी0एस0 नामांकन क्षमता एवं 5462 शैय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित कर देश के सबसे बड़े चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के रूप में विकसित किये जाने संबंधी कार्य किया जा रहा है।

2– इसी क्रम में भवन निर्माण के अतिरिक्त भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के द्वारा पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के स्थल निरीक्षण एवं संभाव्यता अध्ययन के उपरांत बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि०, पटना द्वारा परिसर में (132 / 33 के०वी०) Green GIS ग्रिड उपकेन्द्र के अधिष्ठापन का निर्णय लिया गया है। इसको भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ग्रिड की क्षमता 2x80 एम०वी०ए० एवं 132 के०वी० पर प्रस्तावित ग्रिड की विद्युत आपूर्त्ति दीघा (न्यू) स्थित ग्रिड उपकेन्द्र स्थापित किया जाना है । इससे चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के पुनर्विकसित कार्य पूर्ण होने के उपरान्त लगभग 35 मेगावाट बिजली खपत अनुमानित होगी। यह Green GIS Sub-station के रूप में कम पानी, ऊर्जा की खपत तथा कचरे का उचित निस्तारण के लक्ष्य के साथ राज्य का प्रथम ग्रिड उपकेन्द्र होगा। इससे पर्यावरण दक्षता बढ़ाने के साथ–साथ भवन एवं इसकी ऊर्जा एवं पानी का गुणवत्तापूर्ण उपयोग किया जा सकेगा।

अपर मुख्य सचिव।

298(7)
24-11-2022

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(11) 44/SD

प्रेस नोट

राज्य में विकास संबंधी कार्यों के समुचित संचालन एवं योजनाओं का लाभ निर्धनतम परिवारों तक पहुँचाने हेतु बड़ी संख्या में विकास संबंधी प्रोफेशनल्स तैयार करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य योजना के अंतर्गत वर्ष 2014 में विकास प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गयी है। विकास प्रबंधन संस्थान का मुख्य पाठ्यक्रम संस्थान के उद्देश्यों से संबंधित विषयों में 'स्नातकोत्तर डिप्लोमा' Programme in Development Management (PDM) है। संस्थान का उपयोग विकास कार्यों में लगे पदाधिकारियों तथा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में भी किया जा रहा है।

विकास प्रबंधन संस्थान द्वारा विभिन्न नीतिगत मामलों में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के विभागों के परामर्शी के रूप में शोध कार्य किया जा रहा है। विकास प्रबंधन संस्थान अंतर्गत स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा राज्य में आपदा प्रबंधन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण, स्वच्छता, जलापूर्ति, जलगुणवत्ता के लिए क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण एवं शोध कार्य किया जा रहा है। उत्कृष्टता केंद्र विभिन्न सरकारी योजनाओं यथा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए इनक्यूबेटर के रूप में कार्य कर रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा विकास प्रबंधन संस्थान का वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27 तक अवधि विस्तार एवं विस्तारित अवधि में विकास प्रबंधन संस्थान के अस्थायी कैम्पस के संचालन एवं स्थापना पर कुल संभावित व्यय रू0 98.45 करोड़ (अंठानवे करोड़ पैंतालीस लाख) अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(बालामुरूगन डी0)

सरकार के सचिव

(12)

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

औरंगाबाद जिलान्तर्गत मौजा–पिपरा, थाना सं0–152 एवं मौजा–दोसमा, थाना संख्या–521 के विभिन्न खाता एवं खेसराओं की कुल रकबा–1.7270 एकड़ गैरमजरूआ मालिक एवं बकास्त मोकरीदार बिहार सरकार की भूमि सशुल्क आधार पर कुल–31,08,600.00 (एकतीस लाख आठ हजार छः सौ) रू0 के भुगतान पर डी0 एफ0 सी0 सी0 आई0 एल0 परियोजना निर्माण हेतु डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :– 8/12/21
नाम :– (ब्रजेश मेहरोत्रा),
पदनाम :–अपर मुख्य सचिव।

(14)

बिहार सरकार
गृह विभाग
प्रेस नोट

गोपालगंज जिलान्तर्गत गोपालगंज पुलिस केन्द्र में प्रस्तावित भवनों एवं परिसर, फर्नीचर, आधारभूत संरचना एवं **Obstacle Course** सहित के निर्माण कार्य हेतु कुल तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 54,97,56,000 (चौवन करोड़ संतानवे लाख छप्पन हजार रू0) मात्र की नयी स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति देने के संबंध में।

गोपालगंज पुलिस केन्द्र के निर्माण से पुलिस बल का ढ़ाँचागत सुदृढ़ीकरण होगा एवं विधि व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकेगा।

(चैतन्य प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव

15

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य क्षतिपूर्त्ति वनरोपण निधि अन्तर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरण, कैम्पा, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के आलोक में बिहार राज्य के 2022–23 में कुल 27 वन प्रमंडलों अन्तर्गत अग्रिम–सह–समापन तथा पौधों के रख–रखाव कार्य, वन्य प्राणी के सुरक्षा, संरक्षण एवं संवर्द्धन कार्यों के क्रियान्वयन हेतु ₹11541.4254 लाख (एक सौ पन्द्रह करोड़ एकतालीस लाख बेयालीस हजार पाँच सौ चालीस रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति का निर्णय लिया गया।

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के प्रधान सचिव